THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Yes, Sir.

(b) Their turn for rehabilitation on 'first in first out' basis has not yet come. No land is presently available in Chandrapur Rehabilitaion Project, Maharashtra for resettlement of further families.

Reg. Vocational Education Course in H.S. Schools, Delhi

3913. SHRI MAHI LAL: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2961 on 7th August, 1978 regarding vocational education course in H. S. Schools, Delhi, and state:

(a) whether the requisite information from Delhi Administration has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for such delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRIMATI RENUKA DEVI BARAKATAKI): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-3093/78].

(c) Does not arise.

भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए मकान

3914. श्री जमुना प्रसाद शास्त्री : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि श्रमिकों द्वारा मकानों का निर्माण किए जाने के लिए प्रत्येक राज्य को वर्ष 1978-79 के दौरान कुल कितनी राशि दी है और 31 मार्च, 1978 तक ऐसे मकानों का निर्माण करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यह राशि भूमिहीन श्रमिकों में किन एजेंसियों के माध्यम से वितरित करने के लिए व्यवस्था की जा रही है तथा क्या मकानों का निर्माण करने के लिए भूमिहीन श्रमिकों की सहकारी समितियों को कुछ राशि दी जा रही है, और

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए कुछ स्वयंसेवी संगठनों को भी कुछ वित्तीय सहायता दी जा रही है और यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे संगठनों के नाम क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग). : ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को केवल आवास स्थल देने की योजना है और उसमें भूमिहीन मजदूरों को बने बनाए मकान देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। योजना राज्य क्षेत्र में है । राज्यों को सभी राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए जिसमें ग्रामीण आवास शामिल है, केन्द्रीय वित्तीय सहायता "समेकित ऋणों" और "समेकित अनुदानों" के रूप में दी जाती है और राज्य सरकारें उनके द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न योजनाओं पर उनका नियतन और प्रयोग करने में स्वतंत्र है । 1978-79 की वार्षिक योजना में भूमिहीन ग्रामीण श्रमिक परिवारों को बसाने के लिए 15.54 करोड़ रुपये के परिव्यय की (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) व्यवस्था है । राज्यवार नियतन का एक विवरण विवरण-1 में दिया गया है ।

2. योजना के अन्तर्गत आवास स्थल मुफ्त आवंटित किए जाते हैं और आवंटियों से यह आशा की जाती है कि वे अपने साधनों से या ऐसी सहायता से जो राज्य सरकारों या स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई जाए, उन पर अपना मकान/झोंपड़ियां बनाएं । आवास स्थलों के आवंटन के अलावा, कुछ राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन मकान बनाने के लिए आवंटियों को सहायता दे रहे हैं । एक नोट विवरण-II में दिया गया है ।

विवरण I

भूमिहीन ग्रामीण श्रमिक परिवारों को बसाने के लिए 1978-79 के लिए अनुमोदित परिव्यय ।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यय (लाख रुपयों में)
1. आंध्र प्रदेश . .	500.00
2. असम . .	24.00*
3. बिहार . . .	100.00
4. गुजरात . . .	30.00
5. हरियाणा . .	7.00

1	2
6. हिमाचल प्रदेश	0.25
7. जम्मू व कश्मीर	10.00
8. कर्नाटक	50.00
9. केरल*	130.00
10. मध्य प्रदेश	85.00
11. महाराष्ट्र	130.00
12. मणिपुर	5.00
13. मेघालय	—
14. नागालैण्ड	—
15. उड़ीसा	50.00
16. पंजाब	100.00
17. राजस्थान	5.00
18. सिक्किम	0.50
19. तमिलनाडु	100.00
20. त्रिपुरा	6.00
21. उत्तर प्रदेश	5.00
22. पश्चिम बंगाल	200.00
कुल राज्य	1537.75
संघ राज्य क्षेत्र	
1. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—
2. अरुणाचल प्रदेश	—
3. चण्डीगढ़	—
4. दादरा व नागर हवेली	—
5. दिल्ली	3.00
6. गोवा, दमण व दीव	1.00
7. लक्षद्वीप	—
8. मिजोरम	—
9. पांडिचेरी	12.00
कुल संघ राज्य क्षेत्र	16.00
कुल राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र	1553.75

*गन्दी बस्ती के पर्यावरणीय सुधार समेत।

विवरण-II

भूमिहीन मजदूरों को आवंटित आवास स्थलों पर मकानों के निर्माण के लिए कुछ राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही पर एक नोट।

केरल : 1972 में केरल सरकार ने 'एक लाख आवास योजना' के नाम से एक विशेष योजना चलाई जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों ने समस्त लकड़ी सप्लाई की जबकि सीमेंट और टाइलें जनता सेवा संगठन, एसोसिएशनों, संस्थानों, क्लबों आदि द्वारा 'केरल मुख्यमंत्री फंड' नाम की गठित निधि में से दिए गए स्वैच्छिक योगदान से खरीदी गई। इसके अतिरिक्त जीवन बीमा निगम से 1.50 करोड़ रुपए का विशेष ऋण लिया गया। पंचायतों को यह कहा गया कि वे भी अपने क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के खर्चे को पूरा करने क लिए अपनी निधियों म से योगदान दें। आवास स्थलों के आवंटियों को भी मासिक किस्तों में योगदान देना अपेक्षित था। प्रत्येक मकान की लागत लगभग 1400 रुपए आयी।

कर्नाटक : कर्नाटक सरकार ने भूमिहीन कर्मचारियों को आवंटित आवास स्थलों पर मकानों के निर्माण के लिए 'जनता आवास योजना' नाम की एक विशेष योजना बनाई है। इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक के खर्चों की और आबंटियों ने 500 रुपए का योग-दान दिया और राज्य सरकार ने 1000 रुपए का योगदान दिया है। मकानों के निर्माण पर खर्च की गई शेष राशि को ऋण माना गया है जिसे 20 वर्षों में वसूल किया जाना है।

तमिलनाडु : तमिलनाडु सरकार ने हरिजनों के लिए मकानों के निर्माण के लिए तमिलनाडु हरिजन आवास और विकास निगम की स्थापना की है। ऐसा पता चला है कि एक लाख मकानों के कार्यक्रम के विपरीत 6354 मकानों का निर्माण किया गया है और 13082 मकान निर्माणाधीन हैं।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को आदर देने की दृष्टि से आवंटित आवास स्थलों पर झोंपड़ियों के निर्माण के लिए एक योजना बनाई है। आवास स्थलों के आवंटियों को स्वैच्छिक श्रमदान देना होता है। सरकार उन्हें लगभग 200 रुपए प्रति झोंपड़ी के हिसाब से झोंपड़ी बनाने के लिए देती है। समाहर्ताओं को यह अधिकार दिया गया है कि रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत ईंटें और देशी टाइलों का उत्पादन आरम्भ करें, जिन्हें ऐसी झोंपड़ियों के निर्माण में प्रयोग में लाया जा सकता हो। अब तक योजना के अन्तर्गत लगभग 1.26 लाख झोंपड़ियां बनाई जा चुकी हैं।

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को कई सुविधाएं दी हैं ताकि वे उनको आवंटित आवास स्थलों पर मकानों का निर्माण कर सकें। सुविधा इस प्रकार है :—

(i) आरक्षित वनों के 30 मील के घेरे के भीतर रहने वालों के लिए 18 बल्लियां तथा 50 बांस और

(ii) सरकारी खानों से निकली मिट्टी, बालू, मुरम और पत्थर मुफ्त निकाले जा सकते हैं ।

आन्ध्र प्रदेश : ऐसा मालूम हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन पिछड़े वर्गों के लिए बड़े पमाने पर आवास कार्यक्रम आरम्भ करने का सरकार का प्रस्ताव है । जिसके अन्तर्गत सामाजिक सहकारी संस्थाओं के जरिए ऋण दिए जाते ह ।

पश्चिम बंगाल : आवास स्थलों के आवंटन का कार्य पूरा किए जाने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने द्रुतगति के आधार पर झोपड़ियों के निर्माण का कार्यक्रम बनाया है । झोंपड़ियों के निर्माण के लिए लाभ भोगियों को व्यक्तिगत रूप में या ग्रुपों में श्रम तथा स्थानीय उपलब्ध सामग्री उपलब्ध की जाती है । सरकारी सहायता केवल छत की सामग्री के रूप में दी जानी होगी इसमें छतों को सहारा देने के लिए अनिवार्य सामग्री शामिल है । छत की सामग्री देने के लिए 500 रुपए की सीमा निश्चित की गई है । इसमें छत को आवश्यक सहारा देने के लिए संरचना भी शामिल है ।

उड़ीसा : उड़ीसा में न केवल आवास स्थल देने के लिए एक एकीकृत योजना बनाई गई है किन्तु कतिपय सामग्री बांस और बल्लियां भी उपलब्ध की गई हैं और स्थानीय ब्लाक विकास अधिकारी को निर्माण कार्य का इन्चार्ज बनाया गया है जो उपमण्डलीय अधिकारी की समस्त देखरेख में कार्य होगा । खण्ड विकास अधिकारी को मकानों के निर्माण के लिए निर्माण सामग्री इकट्ठी करनी भी अपेक्षित होगी । लाभ भोगियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अकुशल श्रमिकों के रूप में योगदान दें और जंगलों से सामग्री लाकर स्थल पर पहुंचाएं । क्योंकि स्थानों का निर्माण लाभ-भोगियों द्वारा स्वयं स्थानीय अधिकारियों के मार्ग निर्देशन में किया जाना है । मकानों के नि ़ण किफायती तथा छतों को अग्निरोधक बनाने की आवश्यकता ो ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण सामग्री के मामले में कुछ उदारता बरतने की अनुमति दे दी गई ।

उड़ीसा सरकार ग्रा ीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना को घरेलू उद्योग, मुर्गी पालन, भेड़-बक ी पालन आदि के विकास से सम्बन्धित कुछ अन्य प्लान योजनाओं के साथ सम्बद्ध करने का विचार रखती है । ये योजनाएं आवंटियों को नए स्थलों पर आय के गौण साधन उपलब्ध कराएगी और सारे राज्य में एकीकृत विकास के बड़े पैमाने पर स्थानों का विकास करने में सहायता देगी ।

दिल्ली : आवंटियों को आवास स्थलों पर मकानों का निर्माण करन में सहायता देने के लिए दिल्ली प्रशासन ने उन्हें पत्थर, रेत बदरपुर आदि पर रायल्टी देने से छूट दे दी है । जिन्हें मकानों के निर्माण में प्रयोग लाया जा सकता है । इसके अलावा आवंटी बिना किसी बाधा के गांव सभा भूमि पर उगी मूंज की घास और सिरकन्डे आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं । आवंटी स्थलों पर निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली प्रशासन में नगर निगम अधिनियम के कतिपय उपबन्धों में ढील भी दी है ।

गुजरात : गुजरात सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवंटित आवास स्थलों पर मकानों के निर्माण क लिए एक योजना बनाई है । योजना क अन्तर्गत एक मकान की लागत 1800 रुपए है । 1000 रुपए बक ऋण के रूप में हैं । 400 रुपए राज सहायता के रूप में सरकार देती है जिला विकास प्राधिकरण और/या स्वैच्छिक अभिकरणों द्वारा योगदान 250 रुपए है और शारीरिक श्रम के तौर पर लाभभोगियों का योगदान 150 रुपए है ।

पंजाब : आवंटियों को आवास स्थल पर मकान बनाने के लिए पंजाब सरकार ने लगभग 1100 ग्रामीण स्तर की सरकारी आवास निर्माण समितियां बनाई हैं (इसमें आवास स्थल का आवंटी सदस्य बन सकता है) और प्रत्येक सोसाइटी को 84.14 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं । राज्य सरकार ने प्रत्येक आवंटी को बकों से ऋण देने का भी प्रबन्ध किया है । प्रत्येक आवंटी को दी जाने वाली ऋण की राशि 2100 रुपए है । जिसकी ब्याज की दर 4% प्रतिवर्ष है और उसे दस वर्ष में वसूल किया जाना है ।

हरियाणा : हरियाणा में प्रत्येक उस आवंटी को जिसने उसी स्तर तक का मकान का निर्माण कर लिया है 2000 रुपए के ऋण का पात्र है । उसे यह ऋण उस द्वारा ब्लाक विकास तथा पंचायत अधिकारी से इस बारे में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा कि उसने कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया है । यह 2000 रुपए की राशि आवंटी को 1000 रुपए की दो बराबर किस्तों में दी जाती है । पहली किस्त तब दी जाती है जब निर्माण कार्य कुर्सी स्तर तक हो जाता है और दूसरी किस्त तब दी जाती है जब निर्माण कार्य छत स्तर तक पूरा हो जाता है । पुन: अदायगी की अवधि 10 वर्ष है या जैसी बैंक द्वारा निर्धारित की जाए । ब्याज की दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवकल ब्याज दर योजना के अन्तर्गत निर्धारित की गई है ।

गोवा, दमण और दीव : गोवा, दमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने इसी प्रकार की ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने के लिए योजना के अन्तर्गत आवंटित आवास स्थलों पर मकानों के निर्माण के लिए कोई योजना नहीं बनाई है, यद्यपि, उसने 144 व्यक्तियों में से 79 व्यक्तियों को केवल ऋण और राज सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी है । इस योजना के अन्तर्गत लाभ भोगियों ने अनुसूचित बैंकों से ऋण लेकर अपने प्रयासों से अपने मकानों का निर्माण किया है ।